केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

टी.क्यू.सी./यूनिफार्म स्पैसीफिकेशन/2018–19 दिनांक: 12.09.2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केन्द्रीय भंडारण निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय,
**अहमदाबाद/बंगलौर/भोपाल/भुवनेश्वर/चंडीगढ़/चैन्नई/
मुम्बई/दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/कोलकाता/
कोच्चि/लखनऊ/पंचकुला/पटना/रायपुर ।**

विषयः खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के लिए धान, चावल व मोटे अनाज हेतु एक समान विनिर्दिष्टियां – आदि।

महोदय,

इस पत्र के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या 8–3/2018–S & I दिनांक 21.08.2018 की प्रति संलग्न है, जिसमें खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए धान, चावल व मोटे अनाजों की सरकार द्वारा निश्चित् की गई एक समान विनिर्दिष्टियां भेजी जा रही हैं।

आपसे अनुरोध है कि एक समान विनिर्दिष्टियों को निरीक्षण अधिकारियों, वेअरहाउस मैनेजरों व तकनीकी कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचना व सख्ती से पालन हेतु कहा जाए।

भवदीया,

श. स्याल
12/09/18
(शशी स्याल)
वरिष्ठ सहा.प्रबंधक(सा0)

प्रतिलिपि :

1. महा प्रबन्धक (एम.आई.एस), केन्द्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली– आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ सहा.प्रबंधक(सा0)

निगमित कार्यालय, 4/1 सीरी इन्स्टीच्यूषनल एरिया, अगस्त कान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली.110016 फैक्स सं0 26867503, 26967256, 26962411, 26964082 ई.पी.बी.एक्स 26566107 दूरभाष सं0 26964247

उप-महाप्रबंधक (तकनीकी)
केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली-16
11 SEP 2018
डायरी सं..................

संख्या 8-3/2018-एस. एंड आई.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

****

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 21 अगस्त, 2018

सेवा में,

सचिव,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

......................सरकार

(सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन)

विषय: खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए धान, चावल और मोटे अनाज की एकसमान विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

मुझे खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु धान, चावल और मोटे अनाज की एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजने का निर्देश हुआ है।

अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टॉक की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के दौरान धान, चावल और मोटे अनाज की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु जारी किए जाने वाले चावल के मानक भी संलग्न हैं, जो खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए चावल की एकसमान विनिर्दिष्टियों पर आधारित है ।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

21/8/2018

(विश्वजीत हालदार)

उप आयुक्त (एस. एंड आर.)

दूरभाष: 23383915

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक)/ कार्यकारी निदेशक (क्यू सी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. महा प्रबंधक (गु. नि.)/महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम।
5. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली।
6. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एसआरए एवं ईओपी)/संयुक्त सचिव(भंडारण)/संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी) के प्रधान निजी सचिव।
8. निदेशक (नीति)/निदेशक (एफसीआई)/ निदेशक (पीडी)/ निदेशक (वित्त)/उप आयुक्त (एस एंड आर)।
9. गुण नियंत्रण सैल/भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सभी कार्यालय।
10. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)/ अवर सचिव (एफ. सी. लेखा)
11. सहायक निदेशक (एस एंड आई)/सहायक निदेशक (क्यू सी)/ सहायक निदेशक (प्रयोगशाला)।
12. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

धान की सभी किस्मों के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

धान ठोस, बिक्री योग्य, सूखी, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक-समान होगी और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, आर्जिमोन मेक्सिकाना, ट्रेथिरस सेटिवस (खेसरी) एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण से मुक्त होगी।

धान ग्रेड "ए" और "साधारण" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	5.0*
3	कच्चे, सिकुड़े और कुम्हलाए हुए दाने	3.0
4	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण	6.0
5	नमी	17.0

* क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुने हुए दाने 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस: 4333 (भाग-1): 1996, आईएस: 4333 (भाग-2): 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस: 2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस: 14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. "कार्बनिक विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

******

ग्रेड "ए" और "साधारण" श्रेणी के चावल के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

चावल ठोस, बिक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, साबुत और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक-समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण, किसी भी रूप में आर्जीमोन मेक्सिकाना और लेथिरस सेटिवस (खेसरी) अथवा रंजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006/उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के भी अनुरूप होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम सं.	अपवर्तन		अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
			ग्रेड 'ए'	साधारण
1	टोटा*	रॉ	25.0	25.0
		सेला/सिंगल सेला चावल	16.0	16.0
2	विजातीय तत्व**	रॉ/सेला/सिंगल सेला चावल	0.5	0.5
3	क्षतिग्रस्त दाने#/मामूली क्षतिग्रस्त दाने			
		रॉ	3.0	3.0
		सेला/ सिंगल सेला चावल	4.0	4.0
4	बदरंग दाने			
		रॉ	3.0	3.0
		सेला/ सिंगल सेला चावल	5.0	5.0
5	चाकी दाने			
		रॉ	5.0	5.0
6	लाल दाने			
		रॉ/सेला/ सिंगल सेला चावल	3.0	3.0
7	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण			
		रॉ/सेला/ सिंगल सेला चावल	6.0	-
8	चोकर सहित दाने			
		रॉ/सेला/ सिंगल सेला चावल	13.0	13.0
9	नमी तत्व @			
		रॉ/सेला/सिंगल सेला चावल	14.0	14.0

* छोटे टोटे तौल में 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

** खनिज तत्व तौल में 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जंतुजनित अशुद्धियां तौल में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित

@ चावल (रॉ तथा सेला/सिंगल सेला दोनों) की खरीद मूल्य कटौती के साथ 15% की अधिकतम सीमा तक नमी सहित की जा सकती है। 14% तक कोई मूल्य कटौती नहीं होगी। 14% से 15% के बीच नमी में पूरी मूल्य कटौती की दर से मूल्य कटौती लागू होगी।

****

चावल की ग्रेड-ए और साधारण किस्मों की विनिर्दिष्टियों के लिए लागू नोट

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण भारतीय मानक ब्यूरो की समय-समय पर यथासंशोधित "खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि" संख्या आईएस-4333 (भाग-1): 1996 और आईएस-4333 (भाग-2): 2002 और "खाद्यान्नों की शब्दावली" आई एस: 2813-1995 में किए गए उल्लेख के अनुसार किया जाना है। चोकरयुक्त दाने साबुत अथवा टूटे चावल के वे दाने होते हैं, जिनके सतही क्षेत्र का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा चोकर से ढका होता है और इनका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

विश्लेषण की विधि- पैट्री डिश (80 x 70 मिलीमीटर) में 5 ग्राम चावल (साबुत चावल और टोटा) लें। मैथीलिन के नीले घोल (डिस्टिल्ड पानी में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) के लगभग 20 मि0ली0 में इन दानों का डुबोएं और लगभग 1 मिनट रहने दें। मैथीलिन के नीले घोल को निथारकर निकाल दें। लगभग 20 मि0ली0 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (डिस्टिल्ड पानी में आयतन द्वारा 0.05 प्रतिशत का घोल) के साथ हिलाकर धोएं। पानी में हिलाकर धोएं और नीले रंजित दानों पर लगभग 20 मी0ली0 मैटानिल येलो घोल (डिस्टिल्ड पानी में भार द्वारा 5 प्रतिशत) को डालें और लगभग 1 मिनट रहने दें। एफल्यूएंट को निथारकर निकाल दें और 2 बार ताजे पानी से धोएं। रंजित दानों को ताजे पानी में रखें और चोकरयुक्त दानों की गणना करें। विश्लेषण किए जा रहे नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या गिनें। 3 टूटे दानों की गणना एक साबुत दाने की रूप में की जाती है।

गणना-

चोकरयुक्त दानों का प्रतिशत = एन x 100/डब्ल्यू

जिसमें

एन = नमूने के 5 ग्राम में चोकरयुक्त दानों की संख्या

डब्ल्यू = नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या

2. नमूना लेने की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की **अनाजों और दालों का नमूना लेने की विधि** संख्या आईएस: 14818-2000 में दी गई विधि के अनुसार किया जाना है।

3. पूरे साबुत दाने के आकार के 8वें हिस्से से छोटा टोटा कार्बनिक विजातीय तत्व के रूप में समझा जाएगा। टोटे की औसत लम्बाई के आकार का निर्धारण करने के लिए चावल के मूल श्रेणी की लम्बाई को हिसाब में लेना चाहिए।

4. किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं, यदि यह अधिक हो तो स्टाक की सफाई की जानी चाहिए और इसे सीमा के अंदर

लाना चाहिए। चावल के जिन दानों अथवा दानों के टुकड़ों की सतह पर मिट्टी जमी हो उन्हें अकार्बनिक विजातीय तत्व समझा जाएगा।

5. यदि दाब की सेलीकरण तकनीक द्वारा सेला चावल तैयार किया गया हो तो यह सुनिश्चत किया जाएगा कि सेलीकरण की सही प्रक्रिया अपनाई गई है अर्थात लागू किया गया दाब, समय जिस तक दाब लागू किया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन और मिलिंग से पूर्व शुष्कन उचित रूप से किया गया है ताकि सेला चावल का रंग और पकाने की अवधि सही है तथा दाने पपड़ी से मुक्त हैं।

****

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी करने हेतु चावल के मानक

गेहूं और चावल जारी करने/निपटान करने हेतु दिशा-निर्देश इस विभाग के पत्र सं. 8-2/98-डीआर-3 दिनांक 27.01.1998 और 13.11.1998 द्वारा जारी किए गए थे। खरीफ विपणन मौसम 2018-19 हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने हेतु चावल के मानकों का सारांश अद्यतन उदाहरण सहित निम्नानुसार है :-

1. तैयार जारी करने योग्य स्टॉक मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त हो, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

2. श्रेणी क, ख, और ग के अंतर्गत (श्रेणीकरण क्षतिग्रस्त और बदरंग दानों पर आधारित है) आने वाला चावल का स्टॉक, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो और कीड़ों के प्रकोप से मुक्त हो, तैयार स्टॉक होता है। तैयार स्टॉक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत जारी किया जा सकता है, बशर्ते टूटे दानों, चाकी दानों, लाल दानों और चोकर सहित दानों से संबंधित अपवर्तन एकसमान विनिर्दिष्टियों से 20% तक अधिक हो।

खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियों के आधार पर चावल के जारी करने के लिए तैयार स्टॉक के अधिकतम अनुमेय मानदंडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	अपवर्तन		ग्रेड "ए" तथा साधारण हेतु एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	ग्रेड "ए" तथा साधारण हेतु अधिकतम अनुमेय सीमा (प्रतिशत)
1	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त/पिन-पॉइंट क्षतिग्रस्त दाने	रॉ	3	5
		सेला/सिंगल सेला चावल	4	5

2	बदरंग दाने	रॉ	3	7
		सेला/सिंगल सेला चावल	5	7
3	टोटा	रॉ	25	30
		सेला/सिंगल सेला चावल	16	19
4	चाकी दाने	रॉ	5	6
5	लाल दाने	रॉ/सेला/सिंगल सेला चावल	3	4
6	चोकर सहित दाने	रॉ/सेला/सिंगल सेला चावल	13	16
7	विजातीय तत्व	रॉ/सेला/सिंगल सेला चावल	0.5	1.0

*****

ज्वार के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

ज्वार शुष्क और सोरगम वल्गरे के परिपक्व दाने होंगे। इसका आकार और रूप एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006/उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा।

ज्वार मीठी, कठोर, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा :-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	3.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग दाने	1.0
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	4.0
6	घुन लगे दाने	1.0
7	नमी तत्व	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जन्तुजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996 तथा आईएस-4333(भाग-2):2002 और "खाद्यान्नों की शब्दावली" आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।
2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस: 14818-2000 के अनुसार करना होगा।
3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजाति) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. कवचयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान कवच निकाल दिए जाएंगे और कार्बनिक विजातीय तत्व माने जाएंगे।

*****

बाजरा के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

बाजरा शुष्क और पेन्नीसेटम टाइफाइडिस के परिपक्व दाने होंगे। इसका आकार और रूप एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006/उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

बाजरा मीठा, कठोर, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा :-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	3.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग दाने**	4.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	4.0
6	घुन लागे दाने	1.0
7	नमी तत्व	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जंतुजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

** बाजरे के दाने यदि क्षय जनित बदलाव के कारण बदरंग दिखाई देते हैं तो उन्हें बदरंग दाने माना जाएगा और बाजरे के दाने, यदि आनुवांशिक-किस्मगत विशेषताओं के कारण अलग रंग के बावजूद प्राकृतिक चमक वाले हैं और ठोस हैं तो उन्हें पुष्ट दाने माना जाएगा।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस: 4333(भाग-1):1996, आईएस: 4333(भाग-2): 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस: 2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस: 14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. कवचयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान कवच निकाल दिए जाएंगे और कार्बनिक विजातीय तत्व माने जाएंगे।

5. क्षतिग्रस्त दानों के लिए 1.5 प्रतिशत की समग्र सीमा में, एरगटी दाने 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

*****

मक्का के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

मक्का शुष्क और जिया मेज के परिपक्व दाने होंगे। इसका रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006/उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

मक्का मीठा, कठोर, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा :-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	2.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त बदरंग और लगे हुए दाने	4.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	3.0
6	घुन लगे दाने	1.0
7	नमी तत्व	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जन्तुजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस: 4333(भाग-1): 1996, आईएस: 4333 (भाग-2): 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस: 2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस: 14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. मक्का का छोटा आकार, यदि वह अन्यथा पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसे सिकुड़ा हुआ और अपरिपक्व अनाज नहीं समझा जाना चाहिए।

*****

रागी के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(खरीफ विपणन मौसम 2018-19)

रागी शुष्क और ईलूसिन कोराकाना के पक्के दाने होंगे। इसका आकार, रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006/सके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

रागी मीठी, कठोर, साफ, साबुत और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी), रंजक तत्वों, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगी :

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	1.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.0
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दाने	2.0
5	नमी तत्व	12.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जन्तुजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "खाद्यान्नों का विश्लेषण" करने की विधि संख्या आईएस: 4333(भाग-1):1996 तथा आईएस: 4333 (भाग-2): 2002 और "खाद्यान्नों की शब्दावली" आईएस: 2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस: 14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. विजातीय तत्वों के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. चोकरयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान चोकर निकाल दि।दी जाएगी और इसे कार्बनिक विजातीय तत्व माना जाएगा।